



उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार मुख्यालय

पत्रांक: ए-388/2004(भर्ती)

मई 13, 2014

विज्ञप्ति

उ० प्र० पुलिस रेडियो विभाग में समूह-घ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु शासनादेश संख्या: 1878/6-पु-1-05-1300(36)/04 दिनांक 26-4-2006 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आधार पर इस मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या:ए-388/04(भर्ती)पार्ट-॥ दिनांक 22 सितम्बर 2006 में सन्देश वाहक के 16, मेस फालोवर के 01 पद तथा श्रमिक के 03 रिक्त पदों पर "समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली-1985" के अनुसार सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे।

2- उत्तर प्रदेश सरकार, गृह(पुलिस)अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या:1535/छ:-पु-2-2009-1100(63)/09 दिनांक 28 अगस्त 2009 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में समूह "घ" के कतिपय श्रेणियों की भर्ती हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009" प्रख्यापित की गयी है। ऐसी स्थिति में इस मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या:ए-388/04(भर्ती)पार्ट-॥ दिनांक 22 सितम्बर 2006 के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों पर "समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली-1985" के अनुसार भर्ती की कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा अब समूह-घ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश पुलिस समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009" में निहित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी

3- अतएव उपर्युक्त वर्णित विधिक बाध्यता पर सम्यक विचारोपरान्त उ० प्र० पुलिस रेडियो विभाग में सन्देश वाहक के 16, मेस फालोवर के 01 पद तथा श्रमिक के 03 रिक्त पदों पर "समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली-1985" के अनुसार सीधी भर्ती हेतु इस मुख्यालय द्वारा जारी पूर्व विज्ञप्ति संख्या:ए-388/04(भर्ती)पार्ट-॥ दिनांक 22 सितम्बर 2006 को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति को निरस्त किए जाने के आदेश पारित करने के पूर्व इस विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी को उक्त सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति है, तो वह विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिवस के अन्दर समुचित कारण दर्शाते हुए अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। समय से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त किसी अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जायेगा।

(असीम अरूण),

पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(दूर संचार),
उ० प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।